प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

दिल्ली, दो करोड़ से अधिक की आबादी के साथ विश्व के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है जिससे वाहनों, निर्माण गतिविधियों और ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से इसकी वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता, पिछले पांच वर्षों में 2137 दिनों में से 1195 दिनों (56 प्रतिशत) तक 'खराब' से 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता विभिन्न सेक्टरों जैसे परिवहन, आवासीय, सॉल्वेंट्स, पॉवर संयंत्रों, सड़क की धुल तथा अन्य गतिविधियों द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रतिवेदन में परिवहन क्षेत्र अर्थात् केवल वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण को शामिल किया गया है। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत था जिसकी उत्पत्ति दिल्ली में होती है और इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा संभावित रूप से नियंत्रणीय है। शहरी परिवहन प्रणाली अवसंरचना में निवेश द्वारा परिवहनों के साधनों में परिवर्तन एवं उत्सर्जन जांच हेतु प्रवर्तन प्रणाली तथा मोटर वाहन की फिटनेस सुनिश्चित करने आदि में सुधार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रतिवेदन ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कई कमियों को उजागर किया है जैसे कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के प्रकार एवं संख्या के बारे में सूचना का अभाव और उनके उत्सर्जन भार का आकलन, सार्वजनिक परिवहन बसों और अंतिम बिंदु कनेक्टिवीटी के लिए सार्वजनिक बसों तथा सार्वजनिक परिवहन की कमी ताकि निजी वाहनों के उपयोग को कम किया जा सके, कम प्रदूषणकारी विकल्प जैसे 'मोनोरेल एवं लाइट रेल ट्रांजिट' और इलेक्ट्रोनिक ट्रॉली बसों आदि को लागू करने में कमी थी। प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणन प्रणाली में महत्वपूर्ण विसंगतियों थीं और बड़ी संख्या में वाहन उपयोगकर्ता मानदंडों के अनुसार अपने वाहनों की जाँच नहीं करवा रहे थे। वाणिज्यिक वाहनों को 'फिटनेस सर्टिफिकेट' जारी करने की प्रणाली खराब थी और दुरूपयोग की संभावना थी। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि सरकार ने "दिल्ली प्रबंधन एवं पार्किंग स्थल नियम" को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नही की जिसका उद्देश्य बेतरतीब ढ़ंग से पार्क किए गए वाहनों के कारण वाहनों के ठहराव और यातायात की भीड़ से बचना था।